

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

सरिया अंचल के अन्तर्गत डी.एफ.सी.सी.आई. विशेष रेल परियोजना हेतु
Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि)

भूमि जो निम्नवत है:-

क्रमांक	वन भूमि का स्थल (अंचल)	जिला	वन प्रमण्डल	सौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा (एकड़ में)
1.	सरिया	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	गैड़या	51	102	97	0.70
2.	सरिया	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	गैड़या	51	102	93	0.31
3.	सरिया	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	गैड़या	51	102	393	0.17
4.	सरिया	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	गैड़या	51	102	358	1.81
कुल --								2.99

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकबा 2.99 एकड़ में सम्मिलित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोजन एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोजन एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रकिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सखुआदेश निर्गत किया जायेगा।

EAO

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1468 / दिनांक 14/06/16

प्रतिलिपि:-- मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी.एफ.सी.सी.आई. कोलकत्ता को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

स. उपायुक्त, गिरिडीह